

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ.2()लेखा/बजट-मा.भुग./आईसीडीएस/17/38871-903 जयपुर, दि 6-3-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)


विषय :- मानदेय कर्मियों के मानदेय, पूरक पोषाहार एवं अन्य लम्बित दायित्वों के बिलों का भुगतान करने बाबत।

सन्दर्भ:- विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 201-33 दिनांक 01.01.2018, 37238-271 दिनांक 23.02.2018 एवं 34970-002 दिनांक 27.02.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानदेय कर्मियों के मानदेय का भुगतान एवं पूरक पोषाहार के बिलों का भुगतान नियमित रूप से किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं एवं नियमित प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने के भी निर्देश है। इसके उपरांत भी परियोजना कार्यालयों द्वारा नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं आप द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी नहीं किया जाना विभागीय निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है।

नियमित भुगतान हेतु पूर्व में शासन सचिव, मबावि के पत्र क्रमांक 48567-903 दिनांक 12.5.11 एवं प्रमुख शासन सचिव, मबावि के पत्रांक 124099-402 दिनांक 5.9.13 से "वेतन बिल कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व वेतन बिल पर यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना आवश्यक है कि परियोजना कार्यालय के अधीन कार्यरत मानदेय आधारित कर्मियों के मानदेय बिल कोष कार्यालय को पारित करने हेतु प्रस्तुत कर दिए गए हैं"। उक्त निर्देशों के उपरांत भी नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाना खेदजनक की स्थिति है जबकि विभाग द्वारा मानदेय एवं पूरक पोषाहार मद के अंतर्गत आपको एवं आपके अधीन कार्यालयों को पर्याप्त बजट आवंटित किया हुआ है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप मानदेय कर्मियों को मानदेय भुगतान, पूरक पोषाहार एवं लम्बित दायित्वों के बकाया का अविलम्ब भुगतान कराना सुनिश्चित करते हुए, प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब अवगत करावें, अन्यथा की स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।


आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ


राज0, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.2()लेखा/बजट-मा.भुग./आईसीडीएस/17/38904-9208 जयपुर, दि 6-3-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग द्वारा नियमित भुगतान हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रगति से उपनिदेशक म.बा.वि. को अविलम्ब अवगत करावें, अन्यथा की स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

2. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड बाबत।


आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राज0, जयपुर।